रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

खण्ड I—भाग 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 96] नई दिल्ली, सोमवार, मई 1, 1972/वैशाख 11, 1894

No. 96] NEW DELHI, MONDAY, MAY 1, 1972/VAISAKHA 11, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICES

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 1st May 1972

SUBJECT:—*Import of raw-materials, components and spares by actual users in the small scale sector during April 1972—March 1973—Modes of financing.*

No. 62-ITC(PN)/72.—Attention is invited to the policy for the grant of import licences for raw materials, components and spares to actual users in the small scale sector, as contained in the Import Trade Control Policy (Red Book—Vol. I) for the period April 1972—March 1973.

2. In terms of the aforesaid policy, import licences for raw materials, components and spares to small scale units for the policy period 1972-73 will, unless modified by any further Public Notice, be issued against the modes of financing as indicated in the succeeding paragraphs of this Public Notice.

3. Import licences will be issued against free foreign exchange in the case of all units whose import entitlement works out to an amount not exceeding Rs. 5,000 (irrespective of their export performance).

4. In the case of units whose import entitlement works out to an amount more than Rs. 5,000 but not more than Rs. 50,000, import licences will be granted against the modes of financing as indicated below:—

(a) *Units which have exported 10 per cent. or more of thier production during the calendar year 1971 or financial year 1971-72 and have been granted export performance certificate by C.C.I.&E.*

(i) In the case of units whose export performance is less than 25 per cent of their production, licences will be granted for 2/3 rd of their import entitlements in free foreign exchange subject to a minimum of Rs. 5,000 and the balance value under the U.K. Credit.

(ii) In the case of units whose export performance is 25 per cent or more, import licences will be issued for the full import entitlement in free foreign exchange.

(b) *Units which have exported less than 10 per cent. of their production during the calendar year 1971 or financial year 1971-72 or have no export performance to their credit.*

In the case of such units import licences will be granted in free foreign exchange for 50 per cent of their import entitlement subject to a minimum of Rs. 5,000 and licences for the balance value of their import entitlement will be issued under the U.K. Credit.

5. In the case of units whose import entitlement exceeds Rs. 50,000, the modes of financing will also depend on their export performance as indicated below:—

(a) *Units which have exported 10 per cent. or more of their production during the calendar year 1971 or financial year 1971-72 and have been granted export performance certificate by C.C.I.&E.*

(i) In the case of units whose export performance is less than 25 per cent of their production, licences will be granted for 2/3rd of their import entitlements in free foreign exchange and the balance 1/3rd under U.K. Credit.

(ii) In the case of units whose export performance is 25 per cent or more, import licences will be issued for the full import entitlement in free foreign exchange.

(b) *Units which have exported less than 10 per cent. of their production during the calendar year 1971 or financial year 1971-72 or have no export performance to their credit.*

In the case of such units import licences will be issued for 50 per cent of the import entitlement in free foreign exchange, 25 per cent under U.K. Credit and 25 per cent in Rupee Payment.

6. Import licences issued under the U.K. Credit may, on request, be converted into Rupee Payment licences.

7. In cases where release orders are issued in respect of items, the import of which is canalised through Public Sector agencies, the total entitlement will be divided into various modes of financing in terms of this Public Notice after deducting the value for which release order is issued to the applicant. The basis for making source-wise allocations would be the total entitlement (including the value of release-orders), so that eligibility in terms of paras 3, 4 and 5 above may be determined.

8. In the case of new units whose import entitlement is upto Rs. 50,000, the import licences will be issued in the manner provided in paragraphs 3 and 4(b) of this Public Notice. Units having import entitlement of an amount higher than Rs. 50,000 will be eligible to the modes of financing applicable to non-exporting units as indicated in sub-paragraph 5(b) above.

विदेश व्यापार मन्त्रालय

सार्वजनिक सूचनाएं

आयात व्यापार नियन्त्रण

नई दिल्ली 1 मई 1972

विषय:—अप्रैल, 1972—मार्च, 1973 के दौरान लघु उद्योगों के वास्तविक उपयोक्ताओं द्वारा कच्चे माल,, संघटकों तथा फालतू पुर्जों का आयात अर्थयुक्त किए जाने की विधि।

संख्या 62-आई० टी० सी० (पी० एव०)/72.—अप्रैल, 1972-मार्च, 1973 अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण निति (रैडबुक वा-1) में यथा निहित लघु उद्योगों के वास्तविक उपयोक्ताओं को कच्चे माल, संघटकों तथा फालतू पुर्जों के लिए आयात लाइसेंस प्रदान किये जाने से सम्बन्धित नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. उपर्युक्त नीति के अनुसार नीति अवधि 1972–73 के लिए लघु पैमाने एककों को कच्चे माल, संघटकों तथा फालतू पुर्जों के लिए आयात लाइसेंस इस सार्वजनिक सूचना की अनुवर्ती कांडिका में यथा संकेतिक अर्थयुक्त किए जाने की विधियों के मद्दे तब तक जारी किए जाते रहेंगें जब तक की किसी आगामी सार्वजनिक सूचना द्वारा आशोधित नहीं किए जाती।

3. उन सभी एककों के मामले में जिनकी आयात हकदारी का हिसाब 5,000/– रुपये (उनके आयात निष्पादन की ध्यान रखे बिना) से धनराशी अधिक नहीं होती है तो स्वतंत्र विदेशी मुद्रा के मद्दे आयात लाईसेंस जारी किए जाएंगे।

4. उन एककों के मामले में जिनकी आयात हकदारी का हिसाब लगाने पर 5,000/–रुपय से धनराशी अधिक है किन्तु 50,000/–रुपये से ज्यादा नहीं है तो आयात लाइसेंस नीचे यथा संकेतिक अर्थयुक्त किए जाने की विधियों के मद्दे प्रदान किये जाएंगे :–

(ए) वे एकक जिन्होंने पंचाग वर्ष 1971 या वित्तिय वर्ष 1971–72 के दौरान 10 प्रतिशत या अपने उत्पादन का अधिक निर्यात किया है और जिन्हें मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा निर्यात निष्पादन प्रमाण-पत्र प्रदान किए गये है।

(1) उन एककों के मामले में जिनका निर्यात निष्पादन उनके उत्पादन का 25 प्रतिशत से कम है तो उन्हें उनकी आयात हकदारी के 2/3 के लिए लाइसेंस स्वतंत्र विदेशी मुद्रा के लिये प्रदान किया जायेगा जो अधिक से अधिक 5,000/–रुपये के अधीन है तथा शेष के लिए यू० के० क्रेडिट के अन्तर्गत लाइसेंस प्रदान किए जाएंगे।

(2) उन एककों के मामले में जिनका निर्यात निष्पादन 25 प्रतिशत है या इससे अधिक है, आयात लाइसेंस पूरी आयात हकदारी के लिए स्वतंत्र विदेशी मुद्रा के लिए प्रदान किए जाएंगे।

(बी) वे एकक जिन्होंने पंचांग वर्ष 1971 या वित्तिय वर्ष 1971-72 के दौरान अपने उत्पादन का 10 प्रतिशत से कम निर्यात किया है या उनके क्रेडिट में कोई निर्यात निष्पादन नहीं है।

ऐसे एककों के मामले में आयात लाइसेंस स्वतंत्र विदेशी मुद्रा के लिए उनकी आयात हकदारी के 25 प्रतिशत तक के लिए प्रदान किये जाएंगे जो अधिक से अधिक 5,000/—रुपये के अधीन है तथा उनकी आयात हकदारी के शेष मूल्य के लाइसेंस यू० के० क्रेडिट के अन्तर्गत प्रदान किएजाएंगे।

5. उन एककों के मामले में जिनकी आयात हकदारी 50,000/— रुपये से अधिक है, उनके लिए भी अर्थयुक्त किये जाने की विधि नीचे संकेत किये गये के अनुसार निर्यात निष्पादन पर निर्भर करेगी।

(ए) वे एकक जिन्होंने पंचांग वर्ष 1971 या वित्तिय वर्ष 1971—72 के दौरान अपने उत्पादन का 10 प्रतिशत या इससे अधिक निर्यात किया है और जिन्हें मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा निर्यात निष्पादन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।

(1) उन एककों के मामलों में जिनका निर्यात निष्पादन उनके उत्पादन का 25 प्रतिशत से कम है, लाइसेंस उनकी आयात हकदारी के 2/3 के लिए स्वतंत्र विदेशी मुद्रा के लिए प्रदान किए जाएंगे तथा शेष 1/3 के लिए यू० के० क्रेडिट के अन्तर्गत।

(2) उन एककों के मामले में जिनका निर्यात निष्पादन 25 प्रतिशत या इससे अधिक है, आयात लाइसेंस पूरी आयात हकदारी के लिए स्वतंत्र विदेशी मुद्रा के लिए जारी किए जाएंगे।

(बी) वे एकक जिन्होंने पंचांग वर्ष 1971 या वित्तिय वर्ष 1971—72 के दौरान अपने उत्पादन का 10 प्रतिशत से कम निर्यात किया है या उनके क्रेडिट में कोई निर्यात निष्पादन नहीं है।

ऐसे एककों के मामलों में आयात लाइसेंस आयात हकदारी के 50 प्रतिशत के लिए स्वतंत्र विदेशी मुद्रा के लिए जारी किए जाएंगे, 25 प्रतिशत के लिए यू० के० क्रेडिट के अन्तर्गत तथा 25 प्रतिशत के लिए रु० में भुगतान के अन्तर्गत।

6. यू० के० क्रेडिट के अन्तर्गत प्रदान किये गये आयात लाइसेंसों को अनुरोध किये जाने पर रु० में भुगतान लाइसेंसों में परिवर्तित किए जा सकते हैं।

7. उन मामलों में, जहां उन मदों के संबंध में जिनका आयात सार्वजनिक क्षेत्र अधिकरणों के माध्यम से सारणीबद्ध है यदि रिहाई आदेश जारी किये जाते हैं तो उनकी कुल हकदारी को आवेदक के लिए जारी किये गए रिहाई आदेश के मूल्य को घटाने के बाद, इस सार्वजनिक सूचना की शर्तों के अनुसार अर्थयुक्त किये जाने की विभिन्न विधियों में बांटा जाएगा। उद्गमवार आबंटन किये जाने का आधार कुल हकदारी (रिहाई आदेश का मूल्य भी शामिल है) होगा ताकि उपर्युक्त कंडिका 3, 4 और 5 की शर्तों के अनुसार अपेक्षित का निश्चय किया जा सके।

8. उन नए एककों के मामले में जिनकी आयात हकदारी 50,000 रु० तक है, आयात लाइसेंस इस सार्वजनिक सूचना की कंडिका 3 और 4 (बी) की व्यवस्थाओं के अनुसार जारी किये जाएंगे। वे आयातक जिनकी आयात हकदारी की धनराशी 50,000/– रु० से अधिक है वे उपर्युक्त कंडिका 5 (बी) में यथा संकेतित गैर निर्यातक एककों के लिए लागू होने वाली अर्थयुक्त किए जाने वाली विधियों के लिए पात्र होंगे।

SUBJECT.—*Validity period of import licences issued under IDA Credit 162-IN and prospective IDA (XI) Credit for the Railways.*

No. 63-ITC(PN)/72.—The IDA Credit No. 162-IN for the Indian Railways has been fully drawn. Import licences for contracts which have been placed against foreign exchange releases out of the Credit 162-IN would have been valid only up to the terminal date of the IDA Credit 162-IN *i.e.* September 30, 1971. These licences will have to be financed now from alternative source. Pending the finalisation of a further credit import licences have also been issued against the Prospective (XI) IDA Credit.

2. A fresh IDA Credit 280-IN has since been obtained for the Railways' imports. Foreign exchange payments made on all the import licences issued against IDA Credit 162-IN in respect of orders placed on or after January 1, 1970, which have been utilised partly and all the import licences issued against the Prospective (XI) IDA Credit will be eligible for financing under IDA Credit 280-IN. It has, therefore, been decided that all such licences are deemed to be automatically valid for shipment/payments up to March 31, 1973. It will not be necessary to present these licences to the licensing authorities for endorsement for the purpose. No grace period will, however, be allowed in respect of such licences for making shipment/payment beyond March 31, 1973.

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports and Exports.

विषय :—आई डी ए 162 -आई एन तथा प्रासपेक्टिव आई डी ए (11) क्रेडिट के अन्तर्गत रेलवे के लिए जारी किये गए आयात लाइसेंसों की वैधता अवधि।

संख्या 63-आई० टी० सी० (पी० एम०)/72.—भारतीय रेलवे के लिए आई डी ए क्रेडिट संख्या : 162-आई एन को पूरी तरह आहरत कर लिया गया है। वे संविदाएं जो क्रेडिट 162-आई एन में से विदेशी मुद्रा बंटन के मद्दे की गई है उनके लिए आयात लाइसेंस केवल आई डी ए क्रेडिट 162-आई एन की अन्तिम अवधि अर्थात 30 सितम्बर, 1971 तक ही वैध होगें। इन लाइसेंसों को अब वैकल्पिक उद्गमों से वित्त युक्त किया जाएगा। आगे के क्रेडिट आयात लाइसंसों को जिन्हें अन्तिम रुप दिया जाना बाकी है, उन्हें भी प्रासपेक्टिव (11) आई डी ए क्रेडिट के मद्दे जारी किया गया है।

2. रेलवे के आयातों के लिए नया आई डी ए क्रेडिट 280 आई एन प्राप्त कर लिया गया है। 1जनवरी, 1971 को या उसके बाद में दिये गए आदेशों के सम्बन्ध में आई डी ए क्रेडिट 162 आई एन के मद्दे जारी किये गए सभी आयात लाइसेंस जिनका उपयोग आंशिक रुप में कर लिया है उनके सम्बन्ध में

किए गए विदेशी मुद्रा के भुगतान तथा वे आयात लाइसेंस जो प्रासपेक्टिव (11) आई डी ए क्रेडिट के मद्दे जारी किए गये है, आई डी ए क्रेडिट 280-आई डी ए के अन्तर्गत अथर्युक्त किए जाने योग्य होगें। इसलिए, यह निश्चय किया गया है कि इस प्रकार के सभी लाइसेंसों को 31 मार्च, 1973 तक पोतलदान भुगतान के लिए स्वत: वैध माना गया है। इन लाइसेंसों को कार्य में लाने के लिए लाइसेंस प्राधिकारियों के पास पृष्ठांकन के लिए प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा। लेकिन, इस प्रकार के लाइसेंसों के सम्बन्ध में पोतलदान / भुगतान करने के लिए 31 मार्च, 1973 के बाद किसी भी प्रकार की अवधि वृद्धि की स्वीकृति नहीं दी जाएगी।

एम० एम० सैन,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972.